वि वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवे ा सम्बन्धी सामान्य नियम 2016–2017

1. प्रवेश के लिये अर्हता एवं अन्य सम्बन्धित नियम

1.1 प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत एवं प्रवेश परीक्षा में बैठने की पात्रता –

1.1.1 वि वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवे ा हेतु न्यूनतम प्रति ात एवं प्रवे ा अर्हता की जानकारी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विभाग के विवरण के साथ में इसी विवरिणका में दी गई है लगभग सभी पाठ्यक्रमों में प्रवे ा की अर्हता, अर्हताकारी परीक्षा में औसतन 50 प्रति ात अंक होना अनिवार्य है। म0प्र0 के मूल रुप से निवासी अनूसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को न्यूनतम अर्हता में **5 प्रतिशत** की छूट प्रदान की जायेगी। व ार्ते कि उनके अध्यादेश में उसका प्रावधान हो। निःशक्तजनों (म0प्र0 शासन द्वारा परिभाषित) को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में **5 प्रतिशत** की छूट दी जायेगी।

1.1.2 निर्धारित अर्हता प्रतिशत के आवेदक के उपलब्ध न होने की स्थिति में, बिना प्रवे ा परीक्षा वाले पाठ्यक्रमों में रिक्त स्थानों पर ऐसे आवेदक जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, को प्रवेश दिया जा सकेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी ऐसे आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसके कि अर्हताकारी परीक्षा में 45 प्रतिशत से कम अंक हों, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो ।

1.1.3 महिलाओं एवं वरिश्ठ नागरिक छात्र एवं छात्राओं को ज्योर्तिविज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रवे ा के लिये न्यूनतम आर्हता में 5 प्रति ात की, ऊपर वर्णित छूट के अतिरिक्त प्रदान की जावेगी।

1.1.4 ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा दी है तथा अपने परीक्षा परिणाम का इन्तजार कर रहे हैं, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके अन्तिम प्रवे ा परिणाम बिन्दु क्रमांक 4.14 से निर्दे ित होंगे ।

1.1.5 जिन अभ्यार्थियों ने अर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उन्हें उस विश्वविद्यालय का अर्हता प्रमाण पत्र प्रवे ा के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.1.6 **नये प्रवेश, पाठ्यक्रमों के केवल प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष में ही दिये जायेंगे।**

1.1.7 ऐसे छात्र जिनके अभिभावकों का स्थानान्तर ग्वालियर भाहर में हुआ है उनको अन्य सेमेस्टर में भी प्रवे ा दिया जा सकता है।

1.2 आयु सीमा –

मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार 01 जुलाई, 2016 को **स्नातक** स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा **23 वर्ष** तथा **स्नातकोत्तर** स्तर के पाठ्यक्रमों में अधिकतम आयु **28 वर्ष** निर्धारित

है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से अपंग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में **03** वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। निःशक्त जन वर्ग के आवेदकों के लिए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा **30** वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में **35** वर्ष होगी। राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशी या अन्य ऐसे विभाग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके अधीन हैं, के द्वारा प्रत्याभूतित छात्रों के लिये अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा। ऐसे छात्र जो पेमेन्ट सीट की निर्धारित फीस का भुगतान यदि विदेशी मुद्रा में करते हैं एवं महिला/छात्रा अभ्यर्थियों के लिये भी अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा। एल.एल.एम., एम0बी0ए0 हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रे ान, एवं ज्योतिर्विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भी अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं है। पार्ट–टाइम एवं दूरस्थ ि ाक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवे ा लेने वाले अभ्यार्थियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

1.3 प्रवेश हेतु अपात्रता–

1.3.1 जिनकी आयु, निर्धारित आयु सीमा से अधिक है ।

1.3.2 ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हतादायी परीक्षा की पूरक / ATKT (**प्रथम से पचंम सेमेस्टर तक**)परीक्षा में ाामिल हो रहे हैं ।

1.3.3 ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने किसी संकाय के एक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उसी संकाय के अन्य समान स्तर के पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नही मिलेगा। अगर कोई आवेदक किसी विषय में प्रवेश लेकर किन्हीं कारणोंवश अध्ययन जारी नहीं रखता है, या छोड़ देता है, तो उसे पुनः उसी विषय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

1.3.4 ऐसे अभ्यार्थी जो कि किसी सक्षम न्यायलय द्वारा दोषी सिद्ध किये जा चुके हैं या जिनके विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों/अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ अनाचरण/मारपीट करने के गम्भीर प्रमाणित आरोप हों या जिनके विरुद्ध इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी हो, वह सभी छात्र प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं।

1.3.5 सरकारी/गैर–सरकारी कर्मचारी उन पाठ्यक्रमों में प्रवे ा नहीं ले सकते जो कार्यालयों के कार्यालयीन समय पर चलते हैं । फिर भी वे उन पाठ्यक्रमों में प्रवे ा ले सकते हैं जो नियमित कार्यालयीन समय के उपरान्त संचालित होते हैं। इसके लिए उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

1.4 प्रवेश सूचकांक में लाभदेयता –

1.4.1 निम्नांकित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों पर एवं प्रवेश सूचकांक में 5% अधिभार दिया जायेगा। यह अधिभार प्रवेश परीक्षा आधारित एवं बिना प्रवे ा परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में अभ्यार्थी की मेरिट निर्धारित करते समय प्रदान किया जायेगा।

i. एन0 एस0 एस0 का 240 घण्टे कार्य करने सम्बन्धित बी/सी प्रमाण–पत्र ।

ii. एन0 सी0 सी0 का बी/सी सर्टिफिकेट ।

iii. राष्ट्रीय अथवा अर्न्तविश्वविद्यालयीन स्तर की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता ।

iv. खेल–कूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय/ अर्न्तविश्वविद्यालयीन स्तर पर सहभागिता ।

v. अर्हताकारी परीक्षा यदि जीवाजी विश्वविद्यालय अथवा मध्यप्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण हो।

नोट – किसी भी अवस्था में कुल अधिभार 05 प्रति ात से अधिक प्रदान नहीं किया जायेगा।

प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही सूचकांक (Index) की गणना हेतु उपयोग में लाया जायेगा। **अधिभार** का उपयोग अर्हता में नहीं किया जायेगा। इसका उपयोग केवल वरीयता क्रम निर्धारित करने में किया जायेगा। लाभदेयता से लाभान्वित होने हेतु सम्बन्धित प्रमाणपत्र आवेदनपत्र के साथ संलग्न करें। आवेदनपत्र जमा करने के प चात् जमा किये गये प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। यदि कोई आवेदक एक से अधिक श्रेणी में अधिभार की आर्हता रखता है तो उसे उस एक श्रेणी में ही अधिभार दिया जावेगा जिसमें उसकी पात्रता सर्वाधिक होगी।

1.4.2 शारीरिक रूप से अपंग आवेदकों के लिये उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा/प्रवे ा परीक्षा में प्राप्त अंकों के **10** प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ प्रदान कर प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी ।

1.4.3 जिन आवेदकों ने बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. ऑनर्स किया है, उन्हें भी उनके द्वारा अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत का अधिभार प्रदान कर उनके प्रवेश सूचकांक की गणना की जायेगी।

1.5 विशिष्टीकरण (Specialisation) देने संबन्धी नियम –

ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें विशिष्टीकरण (Specialisation) को लेने का विकल्प है, के लिये विशिष्टीकरण प्रश्न–पत्रों में प्रवेश का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

1.5.1 प्रत्येक विशिष्टीकरण हेतु यथा संभव बराबर स्थान उपलब्ध होंगे। उपलब्ध स्थानों की संख्या तृतीय सेमेस्टर के छात्रों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

1.5.2 विशिष्टीकरण का आंवटन मेरिट तथा व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किया जायेगा। मेरिट, पिछले सेमेस्टर में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

1.5.3 किसी विशिष्टीकरण के चलाने या न चलाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

1.6 एन. आर. आई. एवं प्रायोजित वर्ग का प्रवेश –

1.6.1 एन. आर. आई. वर्ग के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त आवेदकों का प्रवेश उस पाठ्यक्रम एवं संवर्ग के लिये निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रति ात होना अनिवार्य है। उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी ।

1.6.2 प्रायोजित सीट्स पर प्रवेश उन्हीं आवेदकों को दिया जायेगा जो आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवे ा हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी करते हों, उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी । काउन्सलिंग से पहले एक अभ्यार्थी को अपने नियोक्ता से प्रायोजित करने संबंधी पत्र प्रस्तुत करना होगा

1.6.3 उन्हीं अभ्यार्थियों को ही प्रायोजित की श्रेणी में माना जायेगा जिन्हें राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशी या अन्य ऐसे विभाग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इनके अधीन हैं, के द्वारा प्रायोजित किया गया हो या उनके द्वारा पेमेन्ट सीट की निर्धारित फीस का भुगतान यदि विदेशी मुद्रा में किया जाता है ।

1.6.4 उक्त आवेदकों को भी एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा तथा प्रायोजित शुल्क रू. 25,000/– पेमेंन्ट शीट के लिये निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त जमा करने होंगे। उन्हें पाठ्यक्रम अवधि के दौरान नियोक्ता से अवकाश भी लेना होगा।

1.7 **अन्य –**

1.7.1 प्रवेश नियमों से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी विवरणिका में दिये गये प्रत्येक पाठ्यक्रम के विस्तृत विवरण में अलग से की गयी है।

2. सीटों का आरक्षण

2.1 **मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न वर्गों के लिये घोषित आरक्षण नीति केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिये ही लागू होगी।**

2.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए 16 तथा 20 प्रति ात स्थान आरक्षित होंगें । इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तन ील होंगें ।

2.3 पिछड़े वर्ग के (मलाईदार परत को छोड़कर) आवेदकों के लिए 14 प्रति ात स्थान आरक्षित होंगे ।

2.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र और पौत्रियों को, भारतीय सेना में कर्त्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों, भूतपूर्व तथा वर्तमान में कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों को तथा नि ाक्तजन श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रति ात स्थान आरक्षित रखे जायेंगे । विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रति ात अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जायेगा । निः ाक्तजन श्रेणी के आवेदक के लिए 03 प्रति ात स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थान में ही उपलब्ध कराया जायेगा । अगर किसी विद्यार्थी को एक से अधिक वर्ग में अधिभार की पात्रता है तो उसे सर्वाधिक अधिभार वाले वर्ग में अधिभार प्रदान किया जावेगा।

2.5 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रति ात स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे ।

2.6 बाह्य संस्थाओं जैसे (DTE आदि) द्वारा प्रवे ा प्रक्रिया से संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त समस्त पाठ्यक्रमों में दो अतिरिक्त स्थान निर्मित माने जावेगें ।

2.6.1 एक स्थान वि ववविद्यालय के नियमित शिक्षकों एवं अधिकारियों के वार्ड्स के लिए ।

2.6.2 एक स्थान वि ववविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वार्ड्स के लिए ।

वार्ड्स का आ ाय ि ाक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा उन पर निर्भर सगे भाई एवं बहिन से है । इस वावत् कुलसचिव, जीवाजी वि ववविद्यालय, ग्वालियर/सक्षम प्राधिकारी से आदे ि ात प्रमाणपत्र प्राप्त करना वांछनीय होगा ।

इस प्रकार के निर्मित स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगें ।

2.7 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी ।

2.8 आरक्षित स्थान का प्रति ात 0.5 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 0.5 एवं 01 प्रति ात के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी ।

2.9 प्रवे ा की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त छात्र/छात्रायें उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

2.10 सक्षम जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण एवं अतिरिक्त सीटों का लाभ देय होगा ।

2.11 उम्मीदवार (अभ्यार्थी) द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, का सुस्पष्ट उल्लेख किया जाये । इस विकल्प को किसी भी स्थिति में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।

2.12 जिन अभ्यार्थीयों का प्रवेश एन0 आर0 आई0 सीट पर हुआ है, उनका स्थानान्तरण अन्य वर्ग की सीट्स पर नहीं किया जायेगा। लेकिन उसने अगर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा वह मेरिट सूची में प्रवेश हेतु पात्रता रखता है तो वह अपना स्थानान्तरण अन्य वर्ग की सीट्स पर करा सकता है।

2.13 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर उनका परस्पर रूपान्तरण मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार किया जायेगा। **परस्पर रूपान्तरण केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये रिक्त आरक्षित स्थान के बीच किया जावेगा।** अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान रिक्त रह जाते हैं तो उनका **रूपान्तरण बिन्दु क्रमांक 4.1.4 के अनुसार होगा** ।

3. आवेदन कैसे करें ?

3.1 ऐसे छात्र जो प्रवे ा के लिये आवेदन करना चाहते हैं उनको विज्ञापन का अवलोकन करना चाहिए यह विज्ञापन समाचार पत्र तथा वि वविद्यालय की वेवसाईट wwwwww.jiwaji.edu पर उपलब्ध रहेगा। विज्ञापन को देखकर छात्र को यह सुनि चित करना होगा कि उसे किस विषय एवं कितने विषयों में प्रवे ा हेतु आवेदन करना है यह सुनि चित करने के पश्चात् छात्र को एम.पी. ऑनलाईन की वेवसाईट mponline.gov.in पर जाना होगा । उक्त साईट पर संपर्क करने के लिये छात्र एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क केन्द्र पर जाकर वहाँ उपस्थित जिम्मेदार व्यक्ति से जीवाजी वि वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने के लिए कहेंगे। कियोस्क पर उपलब्ध व्यक्ति छात्र को आवेदन पत्र के प्रारूप को भरने में सहायता करेगा। कियोस्क पर जाते समय छात्र पासपोर्ट आकार के अपने दो छायाचित्र लेकर अव य जाये जिससे कि उन फोटो को स्केन कर आवेदन पत्र पर चस्पा किया जा सके।

3.2 विद्यार्थी को आवेदन पत्र में अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, केटेगरी जिससे कि वह संबंधित है, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, पत्र व्यवहार का पता, अन्य गतिविधियों में सहभागिता, छात्र सेवारत है या नहीं इसका प्रमाण, शैक्षणिक रिकॉर्ड, जैसे कि 10 वी, 12वी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षा परिणाम की जानकारी भरना होगी। इसके अलावा उसे अपने पिताजी का नाम, व्यवसाय तथा पत्र व्यवहार हेतु पते की भी जानकारी प्रविष्ट करनी होगी। अन्त में छात्र को

घोषणा भी हस्ताक्षरित करनी होगी तथा अपने दूरभाष क्रमांक की जानकारी भी आवेदन पत्र में देनी होगी।

3.3 कियोस्क पर उपस्थित व्यक्ति आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विद्यार्थी को भुगतान की गई फीस रसीद सह आवेदन पत्र, एवं प्रवेश–पत्र जिस पर कि छात्र को आवंटित रोल नंबर अंकित होगा, का प्रिंटआउट प्रदान करेगा। कियोस्क से प्राप्त भरा हुआ आवेदन फार्म का प्रिंट अपनी सभी अंकसूची की फोटो कॉपी, जातिप्रमाण–पत्र, एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में सहभागिता के प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रति लगाकर **अध्यक्ष, प्रवे ा समिति, भैतिकी अध्ययनशाला, जीवाजी वि वविद्यालय, ग्वालियर–474011** को नि चत दिनांक से पूर्व स्पीड–पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से भेजना होगी। छात्र उक्त दस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर पुस्तकालय में भी जमा कर सकता है।

3.4 एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से प्रवे ा हेतु आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है

पाठ्यक्रम	आवेदन की अंतिम तिथि	बिलम्ब भाुल्क सहित*
बी.बी.ए/बी.टी.एम/बी.सी.ए/बीए.एल.एल.बी / बी.कॉम. एल.एल.बी./बी.एच.एम. एण्ड सी.टी	जून 20, 2016	जून 25, 2016
एम.एससी/एम.ए/एम.बीए./एम.कॉम/बी.लिब./ एम.लिब., पी.जी.डी.सी.ए.	जून 25, 2016	जून 30, 2016
एम.टेक/एम.फार्मा/एल.एल.एम.	जुलाई 05, 2016	जुलाई 10, 2016
एम.फिल/पी.एचडी., सभी पी.जी डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम	अगस्त 05, 2016	अगस्त 08, 2016
*बिलम्ब भाुल्क रूपये 500/– सभी कोर्स के लिये		

3.5 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये पंजीयन शुल्क 200/– रूपये प्रथक से कियोस्क पर ही जमा करने होगें। (अगर कोई छात्र तीन पाठ्यक्रम के लिये आवेदन करता है तो उसे 600+600= 1200 रूपये जमा करने होंगे।) छात्र अधिकतम **पाँच पाठ्यक्रम** के लिये आवेदन कर सकता है।

3.6 ऊपर वर्णित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर वि वविद्यालय विचार नही करेगा।

4. पाठ्यक्रमों में प्रवे ा प्रक्रिया

वि वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवे ा की दृष्टि से दो वर्ग हैं –

वर्ग – 1 प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम

वर्ग – 2 बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम

उक्त वर्गों में भाामिल होने वाले पाठ्यक्रम एवं उनमें प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार हैं –

4.1 वर्ग – 1प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया –

वि वविद्यालय द्वारा इस वर्ग के पाठ्यक्रमों में प्रवे ा हेतु आयोजित प्रवे ा परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा प्रारूप परीक्षा भवन, जीवाजी वि वविद्यालय	प्रवे ा परीक्षा की दिनांक, समय तथा परिणाम की घोषणा	काउन्सिलिंग की तिथि समय – प्रातः 09.30 पर स्थान – गालव सभागार
स्नातक B.B.A./ B.C.A. / B.T.M. B.H.M.&C.T/ B.Com. LL.B/ B.A.L.L.B	a. सामान्य ज्ञान 25 अंक b. सामान्य अंग्रेजी 25 अंक c. गणितीय योग्यता 25 अंक d. तर्क ाक्ति 25 अंक **(प्रत्येक भाग में 25, कुल प्रश्न 100)** **स्तर –** 10+02 **कुल समय** – 90 मिनिट	**परीक्षा** – 28 जून 2016, प्रातः 09.30–11.00 **परिणाम घोषणा** – 29 जून 2016, सायं **अभिलेख सत्यापन** **28/29 जून, 2016**	**काउन्सिलिंग** सभी वर्गो के लिए **– 30** जून, 2016 **सभी वर्गो के लिए**
Post Graduate (*Engineering & Law*) **M. Tech.** • **Chemical Engineering** • **Electronics Engineering** **M. Pharma.** • **Pharmaceutics** • **Industrial Pharmacy** **LL.M**	एम.टेक, एम.फार्मा,एल.एल.एम. के लिए पृथक–पृथक परीक्षा आयोजित की जावेगी। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 75 प्रश्न पूछे जावेंगे। प्रश्न पत्र का स्तर क्रमशः बी.ई, बी.फार्मा. तथा एल.एल.बी स्तर का होगा। **कुल समय** – 90 मिनट	**परीक्षा** – 12, जुलाई 2016 प्रातः 09.30–11.00 **परिणाम घोषणा** – 13, जुलाई 2016, सायं **अभिलेख सत्यापन** **12/13 जुलाई, 2016**	**काउन्सिलिंग** सभी वर्गो के लिए **–** 14 जुलाई, 2016
Post Graduate (M.Sc.) • Molecular Human Genetics • Microbiology • Neuroscience • Food Technology • Biotechnology	**प्रवेश परीक्षा हेतु निम्न किन्हीं दो विषयों का चयन** a. बायोटेक्नोलॉजी 50 अंक b. वनस्पति विज्ञान 50 अंक c. रसायन शास्त्र 50 अंक d. माइको बायोलोजी 50 अंक e. जन्तु विज्ञान 50 अंक **(प्रत्येक विषय में कुल प्रश्न 50 प्र न, कुल 100 प्र न)** **स्तर – स्नातक** **कुल समय** – 90 मिनिट	**परीक्षा** – 02, जुलाई 2016, प्रातः 09:30–11:00 **परिणाम घोषणा** – 03, जुलाई 2016 सायं **अभिलेख सत्यापन** **02/03 जुलाई, 2016**	**एम.एस.सी. पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग सभी वर्गो के लिए** 04,05 जुलाई. 2016

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा प्रारूप परीक्षा भवन, जीवाजी वि वविद्यालय	प्रवे ा परीक्षा की दिनांक, समय तथा परिणाम की घोषणा	काउन्सिलिंग की तिथि **समय –** प्रातः 09.30 पर **स्थान** – गालव सभागार
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम – एम0बी0ए0 • MBA CSMM • MBA Financial Administration • MBA Tourism Administration • MBA Business Economics • MBA HRD • MBA E-Commerce • MBA Hospital Administration	**प्रथम प्रश्नपत्र** a. अंग्रेजी भाशा में दक्षता 25 अंक b. सामान्य तर्क एवं बुद्धि 25 अंक c. सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान 25 अंक d. गणितीय योग्यता 25 अंक **(प्रत्येक भाग में 25, कुल प्रश्न 100)** **स्तर –** भाग a, b, एवं c का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक स्तर के आधार पाठ्यक्रम एवं d भाग का पाठ्यक्रम सामान्य गणित पर आधारित रहेगा। **कुल समय** – 90 मिनिट	**परीक्षा** – 02 जुलाई 2016, प्रातः 12:00–01.30 **परिणाम घोषणा** – 03, जुलाई 2016, सायं **अभिलेख सत्यापन** **2/3 जुलाई, 2016**	**एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु काउन्सिलिंग** **सभी वर्गो के लिए –** 04,05 जुलाई, 2016
	द्वितीय प्रश्नपत्र साक्षात्कार 10 अंक समूह परिचर्चा 10 अंक **अभिलेख सत्यापन दिनांक 2,3 जुलाई, 2016**	**परीक्षा** – 03, जुलाई 2016, प्रातः 09:00 से 12:30 तक **परिणाम घोषणा** – 03, जुलाई 2016, सायं	
M.Phil सभी विषय Ph.D. सभी विषय	**कुल प्र न . 100** **कुल अंक 100** **कुल समय – 90 मिनिट** **स्तरः स्नातकोत्तर** विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न	**परीक्षा** – 10, **August** 2016, प्रातः 09:30 से 11:00 तक **परिणाम घोषणा** – 11 **August** , 2016, सायं	एम.फिल./पी.एचडी पाठ्यक्रम के लिए काउँसलिंग की तिथि पृथक से घोषित की जावेगी

- **स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छात्र को प्रवेश परीक्षा में 30 प्रतिशत (*25% for SC / ST / OBC*) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।**
- **एम.फिल एवं पी.एचडी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रावीण्य सूची पत्र के प्राप्तांक के आधार पर बनाई जावेगी।**

4.1.1 परीक्षा के दौरान आवेदकों को प्रश्नों के उत्तर OMR Sheet पर Black / Blue Dot Pen से अंकित करने हैं जिनका मूल्यांकन ओ0एम0आर0 मभीन द्वारा किया जायेगा । अतः आवेदकों को परीक्षा के दिन Black / Blue Dot Pen साथ लेकर आना है ।

4.1.2 प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गयी मेरिट सूची के आधार पर किये जायेंगे। सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के लिए सूची अलग–अलग बनायी जायेगी । अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित एवं सामान्य, दोनों वर्गों की सूची में स्थान पाता है तो वह दोनों विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है ।

4.1.3 एक से अधिक अभ्यर्थियों का समान सूचकांक होने पर निम्नानुसार वरीयताक्रम निर्धारित किया जायेगा–

i अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है ।

ii अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।

iii अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में, जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा 2016 में उत्तीर्ण की है को वरीयता प्रदान की जावेगी।

4.1.4 काउन्सिलिंग

4.1.4.1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु **काउन्सिलिंग निर्धारित समय पर गालव सभागार** में शुरू होगी। काउन्सिलिंग के समय ही अन्तिम रूप से प्रवेश दे दिया जायेगा। अतः प्रावीण्य सूची में अंकित छात्र काउन्सिलिंग के समय निर्धारित फीस का बैंक ड्राफ्ट/नगद लेकर (गालव सभागार) के काउन्सिलिंग हॉल में उपस्थित रहें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम प्रावीण्य सूची में तो है लेकिन वे काउन्सिलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं तो वह प्रवेश हेतु अपना अधिकार खो देंगे।

4.1.4.2. अभ्यार्थी को स्वंय काउन्सिलिंग टीम के समक्ष उपस्थित होना है। **अभ्यर्थी को काउन्सलिंग के समय सभी मूल प्रपत्र जो कि उसकी पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश की अर्हता दर्शाते हैं, जैसे कि – अंक सूचियाँ/उपाधियाँ अथवा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसने अर्हताकारी परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली है,** के साथ उपस्थित रहना है।

4.1.4.3. **30 जून, 2016** को सभी स्नातक पाठ्यक्रमों तथा **04–06 जुलाई, 2016** को समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये मेरिट के आधार पर समस्त स्थानों के लिये काउन्सलिंग होगी। आरक्षित श्रेणी का कोई छात्र जिसने अपना विकल्प इस हेतु दिया हो उसे इन स्थानों हेतु मेरिट के आधार पर योग्य पाये जाने पर अनारक्षित स्थान पर प्रवे ा दिया जा सकता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में केवल उन्हीं छात्रों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे जिन्होंने काउन्सिलिंग के दिवस उपस्थिति दर्ज कराई गई है परन्तु उन्हें उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जा सका, जिसमें उन्होंने आवेदन किया था। यह प्रतीक्षा सूची बाद में खाली हुए रिक्त स्थानों पर प्रवे ा के लिये ही उपयोग में लायी जायेगी।

4.1.4.4. **30 जून, 2016** को स्नातक पाठ्यक्रम के अनारक्षित स्थानों हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् आरक्षित स्थानों के लिये प्रावीण्य सूची के आधार पर उसी दिन काउन्सिलिंग प्रारम्भ कर दी जायेगी। काउन्सिलिंग के प चात् जब सफल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों की सूची समाप्त हो जायेगी और उसके प चात् भी अगर 30 जून, 2016 को कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो इन स्थानों को अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इस संबंध में कुलसचिव, जीवाजी वि वविद्यालय, ग्वालियर या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा घोषणा की जायेगी। तत्प चात अनआरक्षित वर्ग के लिये काउंसलिग को जारी रखा जावेगा। अगर आव यकता होगी तो काउन्सिलिंग 01 **जुलाई 2016** को भी जारी रखी जा सकती है।

4.1.4.5. इसी प्रकार **04 जुलाई, 2016 को एम.एससी.** स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनारक्षित स्थानों हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के एवं **05 जुलाई, 2016 को एम.बी.ए.** पाठ्यक्रमों हेतु

काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् आरक्षित वर्ग की प्रावीण्य सूची के आधार पर आरक्षित वर्ग के स्थानों हेतु काउन्सिलिंग उन्हीं दिवसों में ही सम्पन्न होगी। काउन्सिलिंग के प चात् जब सफल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों की सूची समाप्त हो जायेगी और उसके पश्चात् ही **05 एवं 06 जुलाई, 2016** को कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हीं दिवसों में इन स्थानों को अनारक्षित वर्ग में परिवर्तित कर दिया जायेगा । इस संबंध में **05 जुलाई, 2016 एवं 06 जुलाई, 2016** को कुलसचिव, जीवाजी वि ववि्यालय, ग्वालियर या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा घोषणा की जायेगी। अगर आव यकता होगी तो काउन्सिलिंग **10 जुलाई, 2016** को भी जारी रखी जायेगी। तत्प चात् रिक्त रहे स्थानों पर प्रवेश सम्वन्धित विभागों में विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा किये जावेंगे ।

4.1.4.6. रिक्त स्थानों हेतु काउन्सिलिंग में केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जिन्होंने पूर्व में काउन्सिलिंग की तिथियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है तथा उनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं । प्रतीक्षा सूची में स्थान पाने के लिये अभ्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वे काउन्सलिंग स्थान पर उपलब्ध उपस्थिति पत्रक में अपना नाम दर्ज करें, जो अभ्यार्थी उपस्थिति पत्रक में किसी कारणव ा अपना नाम अंकित नहीं करेगा उसे प्रतीक्षा सूची में स्थान नहीं मिलेगा । यदि कोई अभ्यार्थी इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।

4.1.4.7. ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा दी है तथा अपने परीक्षा परिणाम का इन्तजार कर रहे हैं, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार के अभ्यार्थियों को काउन्सिलिंग के समय प्राविधिक प्रवे ा दिया जा सकता है, अगर उन्होंनें प्रवे ा हेतु मेरिट में स्थान बनाया है तथा लंबित घोषित परिणाम के पूर्व के सत्रों/वर्षों में उनके द्वारा प्राप्त औसत प्रति ात उस पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता प्रति ात के बराबर अथवा अधिक हैं, किन्तु ऐसे आवेदकों को भी इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि अगर वह अपना परीक्षा परिणाम **30 जुलाई 2016** तक निर्धारित न्यूनतम प्रति ात के साथ उपलब्ध नहीं करते हैं, तो उनका प्रवेश निरस्त माना जाये। उक्त परिस्थिति में उनके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।

4.1.4.8. परामर्श के दौरान परामर्शदात्री समिति के संतुष्ट होने पर वह अभ्यर्थी को एक पर्ची देगी जिसको दिखाकर अभ्यर्थी निर्धारित फीस, विश्वविद्यालय/बैंक के कैश काउन्टर पर उसी समय जमा करेगा। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यार्थी फीस जमा करने की रसीद/चालान की एक प्रति संबंधित विभाग के पास जमा करेगा।

4.1.4.9. अगर अभ्यार्थी ऊपर वर्णित किसी भी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहता है तो उसकी प्रवेश हेतु उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

4.1.4.10. अगर कोई अभ्यार्थी काउन्सलिंग के दिन/समय सम्पूर्ण फीस जमा नहीं करता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वह सीट उसके बाद जिस अभ्यार्थी का नाम होगा उसे दे दी जायेगी। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यार्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति

संबंधित विभाग के पास जमा नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि उसे दिया गया प्रवेश मान्य नहीं है, तथापि प्रवेश रद्द माना जायेगा।

4.1.4.11. यदि कोई ओपन सीट किसी पाठ्यक्रम में खाली होती है तो उस दशा में उस सीट को भरने का प्रथम अधिकार उस छात्र का होगा जो पेमेंट सीट में प्रवेश के प्रथम स्थान पर है।

4.1.4.12. प्रयास यह होगा कि काउन्सिलिंग एक दिन में ही पूर्ण कर ली जाये, लेकिन अगर आवश्यक हुआ तो उसे दूसरे दिन भी जारी रखा जा सकता है। सभी अभ्यार्थी इस परिस्थिती के लिये तैयार होकर आयें। सभी अभ्यार्थी काउन्सिलिंग के दिन पूर्ण समय तक काउन्सिलिंग हॉल में उपस्थित रहें। अगर वे उनका नाम पुकारे जाने के पश्चात् काउन्सिलिंग टीम के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका **प्रवेश हेतु अधिकार समाप्त** समझा जायेगा तथा अगले अभ्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

4.2 वर्ग – II बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया –

4.2.1 पाठ्यक्रमों की सूची

वि ववविद्यालय द्वारा संचालित इस वर्ग के पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं –

S.no	Level	Course			
1	Graduate	B. Lib. I. Sc.			M.Com.
2	Post Graduate	M. Lib. I. Sc.			
		M.A. English	M.Sc. Physics		
		M.A. French	M.Sc. Electronics		
		M.A. Hindi	M.Sc. Mathematics		
		M.A. Education	M.Sc. Geology		
		M.A. Sanskrit	M.Sc. Chemistry		
		M.A. History	M.Sc. Remote Sensing &GIS		
		M.A. Extension Education & Social Work	M.Sc.Environmental Science		
		M.A. Political Science	M.Sc. Botany		
		M.A. Public Admn.	M.Sc. Zoology		Master of Journalism & Mass Comm. (MJMC)
		M.A. Economics	M.Sc.Industrial Chemistry		
		M.A. Jyotirvigyan	M.Sc. Biochemistry		
		M.A. Ancient Indian History, Culture & Archaeology	M.Sc. Computer Scence		
			M.Sc. Medicional Plant & Herbal Resource Management		
3	P.G. Diploma	Retail Management	Yoga Tharepy		French
		Financial Administration	Computer Applications (PGDCA)		Museology
		Forensic Science.	English		
4	Diploma	Food Production	Printing Technology	Sequrity Management	Sprituality And Prsonality Management
5	Certificate	French	English		Sequrity Management
6	Courses conducted by Institute of Distance Education	B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A. (RTM), B.Lib.I.Sc., BJMC, MJMC, M.A. (Drawing & Painting, English, Economics, Geography, Hindi, History, Sanskrit, Sociology, M.S.W., B.Sc. (IT), M.Sc. (IT) MBA (C.S.M.M., RTM) *(each of TWO years duration), MBA(General),* P.G. Diploma in : Psychological Counseling, Computer Applications			

4.2.2 प्रवेश प्रक्रिया –

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवे ा हेतु नियम एवं रेगूलेशन निम्नानुसार हैं –

4.2.2.1 इन पाठ्यक्रमों में **प्रवेश मेरिट के आधार पर** काउन्सिलिंग द्वारा दिया जायेगा। प्रवेश के लिये अभ्यार्थी की मेरिट इन्डेक्स/ आर्हताकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांक से निर्धारित की जायेगी।

4.2.2.2 **सूचकांक** (Index) **निकालने के लिये नियम** –

i. विज्ञान एवं जीव विज्ञान के वे पाठ्यक्रम जो कि **वर्ग II** में चिन्हित हैं में प्रवेश हेतु **इन्डेक्स** *बी0 एस–सी0 परीक्षा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत एवं बी0 एस–सी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सम्बन्धित विषय के सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का प्रतिशत का योग* होगा। इस **इन्डेक्स** को प्रतिशत में दर्शाया जायेगा।

ii. **कला, समाज विज्ञान एवं वाणिज्य** के विशयों के लिये बी0 ए0/बी0 एस–सी0/बी0 कॉम0 की परीक्षा के **सैद्धान्तिक iz'u पत्रों में प्राप्त अंक** का प्रति ात इन विषयों में प्रवे ा हेतु **इन्डेक्स** होगा।

iii. बी0लिब0 में प्रवेश अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत की मेरिट से होगा । प्रवेश हेतु, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर,, जिस भी स्तर पर भी अधिक अंक प्राप्त किये हैं, प्रवेश हेतु इन्डेक्स में शामिल किए जायेंगे ।

iv. एम0लिब0 में प्रवेश हेतु बी0लिब0 या यू0जी0सी0 द्वारा मान्य बी0लिब0 के समकक्ष पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिस भी पाठ्यक्रम में अधिक अंक प्राप्त किये हैं, प्रवेश हेतु इन्डेक्स में शामिल किए जायेंगे

v. विभिन्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमो तथा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों में मेरिट 10 + 2 परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार मानकर बनायी जायेगी।

4.2.2.3 एक से अधिक अभ्यार्थियों का समान सूचकांक होने पर निम्नानुसार वरीयताक्रम निर्धारित किया जायेगा–

i अभ्यार्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है ।

ii अभ्यार्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश स्थित अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।

iii अभ्यार्थी, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा मध्य प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में, जिन्होंने आर्हताकारी परीक्षा 2015 में उत्तीर्ण की है वरीयता दी जावेगी।

4.2.3 काउन्सलिंग

4.2.3.1 **वर्ग II** में दर्शाये गए पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट सूची उनके इन्डेक्स के अनुसार प्रत्येक विभाग के सूचना पटल पर **05 जुलाई 2016 को सांय तक** चस्पा कर दी जायेगी। सिर्फ वही अभ्यार्थी काउन्सिलिंग के लिये पात्र होंगे, जिनके नाम इन सूचियों में हैं।

4.2.3.2 वे सभी अभ्यर्थी जिनके नाम प्रावीण्य सूची में हैं, वे **दिनांक 06 जुलाई 2016 को अपरान्ह 12:00 बजे** सम्बन्धित विभाग में काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित होंगे। वे अपने साथ निम्न प्रपत्र की मूल एवं एक छायाप्रति लायेंगे –

क. अर्हताकारी परीक्षा के सभी वर्षों/सत्रों की अंकसूची,

ख. स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी0 सी0)

ग. अर्हता प्रमाण पत्र, की मूल प्रति (सिर्फ वह अभ्यार्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है)

घ. माईग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति (सिर्फ वह अभ्यार्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है)

4.2.3.3 प्रावीण्य सूची के अनुसार अभ्यार्थी का प्रवेश काउन्सिलिंग के समय ही निश्चित कर दिया जायेगा तथा उसे फीस जमा करने हेतु एक स्लिप दी जायेगी। इस स्लिप को दिखाकर वह निर्धारित फीस, फीस काउन्टर पर जमा करेगा तथा रसीद की एक प्रति काउन्सिलिंग टीम के पास जमा करेगा। अतः अभ्यार्थी निर्धारित फीस का बैंक ड्राफ्ट जो कि कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम देय होगा, लायेंगे अथवा बैंक कैश काउण्टर पर निर्धारित कैश जमा करेंगे। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यार्थी फीस जमा करने की रसीद/चालान की एक प्रति काउन्सलिंग टीम के पास जमा करेगा।

4.2.3.4 **ऐसे पाठ्यक्रमों में** जहाँ प्रवे ा हेतु केवल अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त प्रति ात को प्रवे ा हेतु मेरिट बनाने में शामिल किया जाता है वहाँ प्रावधिक प्रवे ा स्थान रिक्त होने तथा कोई योग्य अभियार्थी उपलब्ध न होने पर ही दिया जा सकता है। किन्तु ऐसे अभ्यार्थियों द्वारा लंबित घोषित परिणाम के पूर्व के सत्रों/वर्षों में उनके द्वारा प्राप्त औसत प्रति ात उस पाठ्यक्रम हेतु आव यक न्यूनतम अर्हता प्रति ात के बराबर अथवा अधिक होना चाहिए । किन्तु ऐसे आवेदकों को भी इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि अगर वह अपना परीक्षा परिणाम 30 जुलाई 2016 तक निर्धारित न्यूनतम प्रति ात के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तो उनका प्रवेश निरस्त माना जाये। उक्त परिस्थिति में उनके द्वारा जमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा।

4.2.3.5 उपरोक्त कोई भी भार्तों या निर्देशों को पालन अभियार्थी के द्वारा नहीं करने पर उसका प्रवे ा स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

4.2.3.6 अगर कोई अभ्यार्थी काउन्सिलिंग के दिन/समय फीस जमा नहीं करता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वह सीट उसके बाद जिस अभ्यर्थी का नाम होगा उसे दे दी जायेगी। फीस जमा करने के पश्चात् अभ्यार्थी फीस जमा करने की रसीद की एक प्रति काउन्सलिंग टीम के पास जमा नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि उसे दिया गया प्रवेश मान्य नहीं है, तथापि प्रवेश रद्द माना जायेगा।

4.2.3.7 काउन्सिलिंग के दिन जो अभ्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें अनुपस्थित मानकर उनका नाम प्रवेश सूची से हटा कर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

5 प्रवेश परीक्षा का स्थान –

5.2 **प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों** में प्रवे ा हेतु लिखित प्रवेश परीक्षायें विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जावेगी। विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा हेतु नियत स्थानों की जानकारी विश्वविद्यालय परिसर में स्थित गालव सभागार, पूछताछ केन्द्र आदि के सूचना पटल पर उपलब्ध रहेगी।

5.3 **बिना प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों** में प्रवे ा प्रक्रिया संबन्धित विभाग में ही सम्पन्न होगी ।

6 शुल्क वापसी संबन्धी प्रावधान

6.1 अगर कोई आवेदक अंतिम काउन्सिलिंग के दिन **(जुलाई 16, 2016)** के पूर्व अपना प्रवेश निरस्त करा लेता है तो उसके द्वारा निर्धारित जमा की गई फीस में से 10 प्रतिशत फीस काटकर आवेदक को वापिस कर दी जावेगी। किन्तु इस तिथि के पश्चात् केवल प्रतिभूति धन ही वापिस किया जायेगा।

6.2 अगर अभ्यार्थी अपना प्रवेश किसी अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण, अंतिम काउन्सिलिंग तक कराता है तो उसके द्वारा जमा की गयी फीस में से 10% राशि काटकर परिवर्तित पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण कर दी जावेगी। तथापि अभ्यार्थी को परिवर्तित पाठ्यक्रम में कुल फीस का केवल 10% का भुगतान और करना होगा। अंतिम काउन्सिलिंग के बाद पाठ्यक्रम/विषय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यार्थी केवल एक बार ही पाठ्यक्रम परिवर्तित करवा सकता है।

6.3 यदि किसी आवेदक ने इस आ ाय का वचनपत्र दिया है कि यदि वह अपनी अर्हतादायी परीक्षा का परिणाम 30 जुलाई, 2016 तक निर्धारित न्यूनतम प्रति ात के साथ उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो उसका प्रवे ा निरस्त माना जाये । उस दशा में यदि आवेदक **30 जुलाई, 2016** तक परीक्षा परिणाम प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा जमा शुल्क वि वविद्यालय द्वारा वापिस नहीं किया जायेगा ।

6.4 ऐसे आवेदक जिन्होंने किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवे ा लिया है एवं वह विभिन्न कारणों से अंतिम काउन्सिलिंग के पूर्व प्रवेश को निरस्त करवाते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि आवेदक को वापिस कर दी जावेगी। किन्तु अगर आवेदक अन्तिम काउन्सिलिंग के पश्चात् फीस वापिस हेतु आवेदन करता है तो उसे केवल प्रतिभूति धन ही वापिस किया जावेगा।

6.5 अगर प्रावधिक प्रवे ा प्राप्त छात्र बाद में फेल घोषित होता है तो उसे 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि वापस कर दी जायेगी ।

7 अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु –

7.1 कोई ऐसे विशेष प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी, जिसका कि उल्लेख इस विवरणिका में नहीं हुआ हो, को प्रवेश समिति को हस्तांतरण कर दिया जायेगा। यह समिति जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिनियम, संबंधी एवं अध्यादेशों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर कार्य करेगी तथा इसका निर्णय अंतिम होगा।

7.2 कानूनी मतभेदों का निराकरण ग्वालियर परिक्षेत्र स्थित न्यायालय में ही किया जायेगा।

7.3 विवरणिका में द ार्ाये किसी पाठ्यक्रम को चलाने या न चलाने का अधिकार वि वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा ।

7.4 वि वविद्यालय के कुछ पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रमों के समक्ष दर्शाई गयीं एजेन्सियों द्वारा सम्पन्न करायी जाती है–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	परीक्षा कराने वाली एजेन्सियॉ
1.	B.E. Chemical / B.E. Electronics / B.E. Computer Science	AIEEE/ JEE Examination
2.	M.C.A. & M.B.A. (M.M, FM, HRDM)	Pre-M.C.A. and M.P.-M.E.T.- conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.
3.	B.Pharma	MP- Pharma-JET, conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board, Bhopal.
4	B.P.Ed & M.P.Ed.	MP Higher Education through mponline

जो छात्र उपर्युक्त बाह्य एजेन्सी की प्रवे ा परीक्षा के माध्यम से उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवे ा लेते हैं, उन्हें भी वि वविद्यालय की प्रवे ा विवरणिका क्रय कर वि वविद्यालय का प्रवे ा आवेदन–पत्र भी भरना होगा ।

7.5 विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर या बाहर रेगिंग, छेड़खानी, उत्पीड़न तथा उपद्रव करना गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। जो अभ्यर्थी परिसर के अन्दर या बाहर यह सब करते पाये जायेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनु ाासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

7.6 यदि रैगिंग की कोई घटना वि वविद्यालय की जानकारी में आती है तो सम्बन्धित छात्र को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जायेगा । यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वि वविद्यालय उसे संस्था से निष्काषित कर देगा ।

7.7 यदि एम0 फिल0 पाठ्यक्रम में 05 तथा अन्य पाठ्यक्रमों में 10 से कम संख्या में वर्ष 2016–17 में छात्र प्रवे ा लेते है तो ऐसे पाठयक्रमों को संचालित न करने का निर्णय वि वविद्यालय द्वारा लिया जा सकता है इस द ाा में छात्रों को उनके द्वारा जमा ाुल्क की समस्त रा ि ा वापिस कर दी जावेगी।

7.8 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से भाुल्क मध्यप्रदे ा भाासन के नियमानुसार लिया जावेगा। उक्त छात्रों द्वारा दी जाने वाली भाुल्क का निर्धारण उनके अभिभावकों की कुल आय के आधार पर किया जावेगा।

7.9 यदि उक्त छात्र पेमेन्ट सीट पर प्रवे ा लेते हैं तो उन्हें प्रवे ा के समय कॉ ान मनी के अलावा पेमेन्ट भाुल्क का भी भुगतान करना होगा

7.10 जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या अन्य किसी प्र ाासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीव ा किसी आवेदक को यदि प्रवे ा मिल जाता है तो उसके संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवे ा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वि वविद्यालय को होगा।

7.11 नियमित प्रवे ा लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवे ा निरस्त कर दिया जायेगा।

7.12 प्रवे ा प्रक्रिया के दौरान अथवा बाद में अगर यह पाया जाता हैकि कोई प्रवे ा प्र ाासनिक चूक अथवा प्रवे ा कर रहे काउंसलर की गलती से हो जाता है तो इस प्रकार के प्रवे ा तुरन्त निरस्त कर दिये जावेगें। इस अवस्था में छात्र द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण फीस वापिस कर दी जाबेगी।

7.13 छात्र को स्नातक पाठ्यक्रम प्रवे ा लेने से 5 वर्श में पूर्ण करना होगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पवे ा से 3 वर्श में पूर्ण करना होगा। अगर कोई छात्र उपरोक्त अवधी में पाठ्यक्रम पूर्ण नही कर पाता है तो उसे पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमती प्रदान नही की जाबेगी तथा उसे किसी भी प्रकार की भाुल्क(प्रतिभूति धन छोडकर) वापिस नही की जायेगी।